न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 04 / 2022

अपीलार्थी

1. श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री हीरालाल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी रिको कॉलोनी आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सीनियर रिजनल मैनेजर भगत की कोठी, जोधपुर हाल डिप्टी जनरल मैनेजर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम रिटेल रिजनल ऑफिस 36, प्रथम फ्लॉर नटराज टॉवर राजस्थान हॉस्पीटल के पास सेक्टर 14 हिरण मगरी उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. उपतहसीलदार भावरी जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय दिनांक : 17.10.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत उपतहसीलदार भावरी द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 1559 दिनांक 30.10.2009 के विरूद्ध दिनांक 08.02.2022 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा [illegible] कि मौजा भीमाणा पटवार हल्का भीमाणा तहसील पिण्डवाडा जिला [illegible]सरा संख्या 137 / 26 रकबा 1. 10 बीघा, खसरा संख्या [illegible] संख्या 137 / 28 रकबा 19 बिस्वा एवं खसरा संख्या [illegible] बिस्वा कुल किता 04 कुल [illegible] 04 बीघा किस्म वाणिज्यिक भूमि आई हुई थी। [illegible] है कि अपीलांट ने उक्त [illegible]त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक को पेट्रोल पम्प संचालित हेतु 19 वर्ष 11 माह के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

लीज पर दी, जो दिनांक 01.02.2009 से 31.12.2028 तक के लिए उपपंजीयक कार्यालय पिण्डवाडा में नियमानुसार लीज डीड का पंजीयन करवाया गया एवं उक्त लीज का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु उसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय एवं पटवार हल्का भीमाणा को प्रस्तुत की। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि से नाम हटाकर उसकी जगह रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नाम इन्द्राज लीज डीड के धारक के रूप में कर दिया एवं अपीलांट का नाम खातेदारी जमाबन्दी से विलोपित कर दिया, जिसका अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। यह है कि उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलांट के नाम के आगे लीजडीड का केवल नोट लगाया जाता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मूल स्वामी का नाम ही विलोपित कर उसकी जगह रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नाम लीज धारक का नाम दर्ज किया गया है, जो गलत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 1559 दिनांक 30.10.2009 को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः इनका किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य या जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया जाता है।

रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। पटवारी हल्का भीमाणा की रिपोर्ट दिनांक 08.09.2009 की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि भीमाणा पटवार हल्का भीमाणा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 137/26 रकबा 1.10 बीघा, खसरा संख्या 137/27 रकबा 1.10 बीघा, खसरा संख्या 137/28 रकबा 19 बिस्वा एवं खसरा संख्या 137/29 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 04 बीघा किस्म वाणिज्यिक भूमि आई हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा उक्त विवादित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया एवं इसके उपरान्त उक्त विवादित भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या एक को लीज पर दिया गया। यह है कि पटवार हल्का भीमाणा की रिपोर्ट दिनांक 08.09.2009 एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई जांच दिनांक 10.09.2009 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जिसमें अपीलांट का नाम खातेदारी जमाबन्दी से विलोपित कर रेस्पोडेन्ट संख्या एक लीज डीड धारक के नाम स्वीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में पटवार हल्का भीमाणा को ज्ञात हुआ पटवार हल्का भीमाणा द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1559 दिनांक 30.10.2009 में पुनः मूल खातेदार के नाम दर्ज करने हेतु शुद्धि पत्र पर स्वीकृत प्रदान की, परन्तु इसके उपरान्त भी राजस्व अभिलेख में अपीलांट का मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

खातेदार के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि अपीलांट द्वारा उक्त विवादित भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या एक को लीज डीड पर दिया गया है तो उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में लीज डीड का अंकन किया जाना चाहिए था, परन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल खातेदार का नाम विलोपित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम दर्ज किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड एवं तथ्यों की जांच नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1559 दिनांक 30.10.2009 को निरस्त करते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रेकर्ड एवं दस्तावेजों की जांच कर पुनः नए सिरे से नियमानुसार नामान्तकरण आदेश पारित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Ballao
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner